CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR
छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेशण केन्द्र, रायपुर
CIN-U40108CT2003SGC015820
GST No. – 22AADCC5773E1ZX
दूरभाश PHONE: 0771– 2574172, फैक्स FAX NO. 0771-2574174.
Web Site: www.sldccg.com email: ra.csldc@sldccg.com

PUBLIC NOTICE

In compliance to the relevant provisions under section 62 and 64 of Electricity Act, 2003 and the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2021, Chhattisgarh State Load Despatch Center (CSLDC) has filed a Petition for Final True-up of ARR for FY 2023-24 and CSLDC Charges for FY 2025-26. This petition is registered as petition no. 97/2024. Aggregated Revenue Requirement (ARR) for FY 2023-24, ARR of FY 2025-26 and SLDC Charges are given below -

(all figures in Crores)

Sr. No	Particulars	FY 2025-26
1	ARR for FY 2025-26	32.48
2	(Surplus)/Deficit of FY 2023-24 after considering carrying cost up to FY 2025-26	(2.28)
3	**Adjusted ARR for FY 2025-26**	30.20
4	System Operation Charges	24.17
5	Intra-State Market Operation Charges	6.04
6	**Total SLDC Charges**	**30.20**

Copies of the petition are available at Chhattisgarh State Electricity Regulation Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur and State Load Despatch Center's Office at Dangania, Raipur, which can be obtained on any working day on payment of Rs. 100/-. The same may also be obtained by post on payment of additional charge of Rs. 50/-. Copy of this notice and the petition are also available on website www.cserc.gov.in.

Objections/suggestions relating to the petition may sent to the office of Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Regulation Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur and/or Executive Director, SLDC at Dangania, Raipur within 21 days of the date of publication of this notice. Objections /suggestions may also be sent to email cserc.sec.cg@nic.in. The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be notified separately through newspaper.

Executive Director
SLDC, CSPTCL Raipur

CSPTCL
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
CIN-U40108CT2003SGC015820
GST No. – 22AADCC5773E1ZX

CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR
छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेशण केन्द्र, रायपुर
दूरभाश PHONE: 0771- 2574172, फैक्स FAX NO. 0771 2574174.
Web Site: www.sldccg.com email:

Ref: 03-02/SLDC/ **Raipur, Dated:**

आम–सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ संबंधित विशयक के सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ निर्धारण) विनियम, 2021 तथा विद्युत अधिनियम 2003 सेक्शन 62 एवं 64 के प्रावधानों के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वास्तविक वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ट्रू–अप) एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के अनुमोदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया गया है। इस याचिका को याचिका (क्रमांक 97/2024) के रूप में पंजीकृत किया गया है। याचिका के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र के वर्ष 2023–24, वर्ष 2025–26 एवं वर्ष 2025–26 के एसएलडीसी शुल्क एवं प्रभार का विवरण निम्नानुसार है: –

छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेशण केन्द्र (SLDC, CSPTCL)
वार्शिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) (Aggregated Revenue Requirement (ARR)
(सभी राशि करोड़ रूपये में)(all figures in Crores)

कमांक	विवरण	सत्र 2025–26
1	वित्तीय वर्ष 2025–2026 हेतु प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	32.48
2	वित्तिय वर्श 2024–25 का केरिंग कॉस्ट सहित राजस्व आधिक्य (वित्तीय वर्ष 2025–26 तक)	2.28
3	**वित्तिय वर्श 2025–26 के लिए समायोजित वार्शिक राजस्व आवश्यकता**	30.21
4	तंत्र संचालन शुल्क	24.17
5	अंतर्राज्यीय बाजार संचालन शुल्क	6.04
6	**कुल भार प्रेशण शुल्क**	**30.21**

उपरोक्त याचिका की प्रतियां छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग, न्यू शांति नगर, रायपुर के कार्यालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेशण केन्द्र, डंगनिया, रायपुर के मुख्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवस में रू 100/– का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रू. 50/– (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति वेबसाईट www.cserc.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

उपरोक्त याचिका पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक पक्षकार अपनी आपत्ति/सुझाव इस आम सूचना के जारी होने के 21 दिन के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, न्यू शांति नगर, रायपुर एवं/या कार्यापालक निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेशण केन्द्र, डंगनिया, रायपुर और/अथवा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आपत्ति/सुझाव दर्ज कराने वाले पक्षकारों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई में सम्मिलित होने का अवसर दे सकता है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

कार्यापालक निदेशक
राज्य भार प्रेशण केन्द्र
छ.ग.रा.वि.ट्रांस.कं.लि.,रायपुर